



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1691]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 6, 2016/आसाधा 15, 1938

No. 1691]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 2016/ASADHA 15, 1938

खान मंत्रालय

(भारतीय खान ब्यूरो)

आदेश

नागपुर, 30 जून 2016

का.आ. 2324(अ).—जबकि अपतट क्षेत्र खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2002 (2003 का क्र. 17) (आगे से ओ ए एम डी आर अधिनियम के रूप में संदर्भित) को दिनांक 30 जनवरी 2003 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी की सम्मति प्राप्त हुई।

जबकि ओ ए एम डी आर अधिनियम की धारा 35 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए खान मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 3 नवंबर 2006 को अपतट क्षेत्र खनिज रियायत नियमावली 2006 (आगे से ओ ए एम डी आर के रूप में संदर्भित) को अधिसूचित किया।

जबकि खान मंत्रालय ने दिनांक 12 फरवरी 2010 के सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा दिनांक 15 जनवरी 2010 को ओ ए एम डी आर तथा ओ ए एम सी आर लागू होने की तिथि अधिसूचित किया।

जबकि ओ ए एम डी आर अधिनियम की धारा 4 के खण्ड(क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने अपने का.आ. 339 (अ), दिनांक 11 फरवरी, 2010 के द्वारा महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर को ओ ए एम डी आर अधिनियम के उद्देश्यों हेतु प्रशासनिक प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया।

जबकि ओ ए एम डी आर अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रशासनिक प्राधिकारी ने का. आ.1341 (अ), दिनांक 7 जून 2010 के द्वारा गवेषण अनुज्ञप्तियों की मंजूरी के लिए 63 खनिजधारित अपतटीय ब्लॉकों को अधिसूचित किया जिसे दिनांक 9 जून 2010 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया।

और जबकि 53 आवेदकों से 377 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 62 गवेषण ब्लॉकों की मंजूरी के लिए 16 आवेदक चयनित किए गए (अरब सागर में पड़ने वाले ब्लॉकसंख्या 3 व 32 के अक्षांश और देशान्तर एक ही थे, अतः उन्हें एकल ब्लॉक के रूप में माना गया एवं ब्लॉकसंख्या 3 के रूप में मंजूरी दी गई)

जबकि 62 गवेषण ब्लॉकों हेतु 16 सफल आवेदकों को प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा दिनांक 5/4/2011 को गवेषण अनुज्ञप्तियों की मंजूरी के आदेश जारी किए गए।

और जबकि ओ ए एम सी आर के नियम 19 के उप-नियम (1) के प्रावधानों के अनुसार, जहां गवेषण अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए आदेश जारी हुआ है, उक्त आदेश के संसूचित होने के नब्बे दिनों के अंदर ऐसी अनुज्ञप्ति को मंजूर करते हुए डीड (विलेख) कार्यान्वित की जाएगी।

जबकि 62 ब्लॉकों में गवेषण अनुज्ञप्तियों की अनुमोदन विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधिकार क्षेत्रों में चुनौती दी गई है।

और जबकि मुंबई न्यायाधिकार के माननीय उच्च न्यायालय के नागपुर बेंच ने रिट याचिका संख्या 1502 वर्ष 2011 में अपने आदेश दिनांक 28/3/2011 द्वारा यह निर्देश दिया कि माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश आने तक सभी परवर्ती कार्य आस्थगित रखे जाएं।

और जबकि मुंबई न्यायाधिकार के माननीय उच्च न्यायालय के नागपुर बेंच के दिनांक 28/3/2011 के आदेश द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सभी 16 आवेदकों को यह सूचित किया गया है कि माननीय न्यायालय से अंतिम आदेश प्राप्त होने तक सभी परवर्ती कार्यों को आस्थगित रखे जाएं।

जबकि मुंबई न्यायाधिकार के माननीय उच्च न्यायालय के नागपुर बेंच के वर्ष 2011 के रिट याचिका के अंतरिम आदेश दिनांक 28/11/2011 द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि दिनांक 28/3/2011 का आदेश केवल उन 17 ब्लॉकों के लिए ही होगा जिसके लिए याचिकाकर्ता ने अपना दावा किया है और बाकी के ब्लॉक न्यायालय की विचारार्थ विषयान्तर्गत मामला नहीं है।

और जबकि मुंबई न्यायाधिकार के माननीय उच्च न्यायालय के नागपुर बेंच ने दिनांक 17/9/2013 द्वारा वर्ष 2011 के रिट याचिका संख्या 1502 के निपटान के समय दिनांक 28/11/2011 के अंतरिम आदेश को और 10 दिनों के लिए जारी रखा जाए ताकि याचिकाकर्ता चाहे तो वे इस अंतरिम आदेश को जारी रखने हेतु उचित आवेदन कर सकते हैं।

और जबकि मुंबई न्यायाधिकार के माननीय उच्च न्यायालय के नागपुर बेंच के दिनांक 27/9/2013 के आदेश द्वारा दिनांक 28/3/2011 के आदेश को 28/11/2011 को संशोधित कर आगे 6 सप्ताहों के लिए बढ़ा दिया गया।

जबकि आन्ध्र प्रदेश के न्यायाधिकार के माननीय उच्च न्यायालय के हैदराबाद बेंच ने वर्ष 2011 के रिट याचिका संख्या 12835 के अंतरिम आदेश दिनांक 22/6/2011 द्वारा यह निर्देश दिया गया कि इसी बीच में यदि गवेषण अनुज्ञप्ति अनुमोदित करने हेतु कोई कदम उठाए गए तो वे इस न्यायालय के आगे के आदेश पर निर्भर करेगा। आगे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11/7/2011 को इस विषय पर एक अन्य आदेश जारी किया गया जिसमें 'अगले आदेश तक दिनांक 22/6/2011 को अनुमोदित अंतरिम आदेश को जारी रखने हेतु निर्देश दिया गया'।

जबकि आन्ध्र प्रदेश के न्यायाधिकार में हैदराबाद के माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल रिट याचिका संख्या 12835 को इस आदेश की तिथि तक निपटान नहीं किया गया है तथा स्वीकृत अपतटीय गवेषण अनुज्ञप्तियों को भी अब तक कार्यान्वित नहीं किया गया है।

जबकि प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा यह देखा गया है कि अधिसूचना दिनांक 7/6/2010 द्वारा अनुज्ञप्तियों की मंजूरी हेतु अधिसूचित कुछ गवेषण ब्लॉक अपतटीय क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों के साथ अतिव्याप्त है (ओवरलेप) जिस पर ओ ए एम डी आर अधिनियम लागू नहीं होता।

कि ओ ए एम डी आर अधिनियम का क्षेत्राधिकार एकांतिक रूपसे अपतटीय क्षेत्र पर लागू है जिसे उक्त अधिनियम में प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय उपतट, एकांतिक आर्थिक क्षेत्र एवं अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम 1976 के तहत भारत के प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय उपतट, एकांतिक आर्थिक क्षेत्र एवं अन्य समुद्री क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है।

और कि अपतटीय क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में खनिज रियायत की मंजूरी का विनियमन खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 (1957 का 67) के द्वारा होता है।

जबकि केन्द्र सरकार ने पर्यावरण विभाग, वन एवं वन्य जीव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सरकारी राजपत्र में प्रकाशित का. आ. 19 (अ) दिनांक 6 जनवरी, 2011 द्वारा तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) की सीमा घोषित की है तथा

सीआरजेड ने उद्योगों, प्रचालनों, अथवा प्रक्रियाओं तथा समान प्रकार के क्रियाकलापों की स्थापना और विस्तार पर कुछ प्रतिबंध लगाया है।

और जबकि उक्त सांविधिक आदेश दिनांक 6/1/2011 यह कहता है कि समुद्र के मामले में तटीय विनियमन क्षेत्र न्यून समुद्र जल रेखा के बीच जल एवं तलक्षेत्र से लेकर प्रादेशिक जल सीमा (12 नॉटिकलमाइल) तक भी लागू होगा तथा सीआरजेड क्षेत्र के बाहर उपलब्ध दुर्लभ खनिजों को छोड़कर सीआरजेड के रूप में चिह्नित क्षेत्र में अन्य बातों के साथ साथ बालू, चट्टान एवं अन्य उप-स्ट्रेटा पदार्थों के खनन पर प्रतिबंध लगाया है।

और जबकि का. आ. 1341(अ) दिनांक 9 जून 2010 द्वारा गवेषण अनुज्ञप्ति की मंजूरी हेतु अधिसूचित सभी 62 अपतटीय ब्लॉक सीआरजेड के रूप में चिह्नित क्षेत्र के भीतर आते हैं, यानि वे 12 नॉटिकल माइल के प्रादेशिक जल सीमा के भीतर आते हैं, जहां केन्द्र सरकार द्वारा जारी सांविधिक आदेश दिनांक 6/1/2011 द्वारा अधिरोपित खनन पर प्रतिबंध है (जिसका अर्थ है किसी भी खनिज के खनन के उद्देश्य से किया गया कोई प्रचालन कार्य)।

जबकि अपतटीय क्षेत्र से किसी भी खनिज के खनन के उद्देश्य हेतु उत्पादन पट्टा की मंजूरी ओएएमडीआर अधिनियम के तहत की जाती है।

और जबकि उत्पादन पट्टा की मंजूरी गवेषण अनुज्ञप्ति की मंजूरी की आनुषंगिक है क्योंकि ओएएमडीआर अधिनियम में यह व्यवस्था है कि गवेषण अनुज्ञप्ति धारक को उत्पादन पट्टा पर एकांतिक अधिकार होगा जो खनिज के खनन हेतु प्रचालन अधिकार है।

जबकि सीआरजेड अधिसूचना दिनांक 6/1/2011 के प्रभाव को देखते हुए 62 अपतटीय गवेषण अनुज्ञप्तियों के कार्यान्वयन का उद्देश्य निष्फल हो जाता है क्योंकि आवेदक गवेषण प्रचालन कार्य सफलता पूर्वक पूर्ण हो जाने के पश्चात उत्पादन पट्टा की स्वीकृति के उपरांत खनिजों के खनन हेतु प्रचालन कार्य नहीं कर सकते हैं।

अब इसलिए सभी उक्त तथ्यों पर विचार करते हुए मैं एतद् द्वारा का. आ. 1341 (अ) दिनांक 7 जून 2010 द्वारा जारी अधिसूचना को इस प्रभाव के साथ रद्द करता हूँ कि 62 गवेषण अनुज्ञप्तियों की मंजूरी हेतु किए गए सभी उत्तरवर्ती कार्य एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

[फा. सं. टी-42009/एस पी सी/सी जी बी एम/2016]

आर.के.सिन्हा, महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो एवं प्रशासी
प्राधिकारी, अपतटीय खनिज क्षेत्र (विकास एवं विनियमन)

MINISTRY OF MINES

(Indian Bureau of Mines)

ORDER

Nagpur, the 30th June, 2016

S.O. 2324(E).—Whereas the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (No.17 of 2003) (hereinafter referred to as **OAMDR Act**) received the assent of the President of India on the 30th January, 2003.

Whereas in exercise of the powers conferred by section 35 of the OAMDR Act, the Ministry of Mines, Government of India notified the Offshore Areas Mineral Concession Rules, 2006 (hereinafter referred to as **OAMCR**) on 3rd November, 2006.

Whereas, the Ministry of Mines by notification in the Official Gazette dated 12th February, 2010 appointed 15th January, 2010 as the date on which the OAMDR Act and OAMCR shall come into force.

Whereas in exercise of the powers conferred under clause (a) of section 4 of the OAMDR Act, the Central Government vide S.O.339(E) dated 11th February 2010 notified the Controller General, Indian Bureau of Mines, Nagpur as the Administering Authority for the purposes of the said OAMDR Act.

Whereas in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 10 of OAMDR Act, the Administering Authority notified 63 mineral bearing offshore blocks for grant of exploration licences, vide S.O.1341(E) dated 7th June 2010 which was published in the Official Gazette dated 9th June 2010.

And whereas 377 applications were received from 53 applicants and whereas 16 applicants were shortlisted for grant of 62 exploration blocks (the bounding latitude and longitude of Block Nos. 3 & 32 falling in the Arabian Sea were same and therefore these were considered as a single block and granted as Block No. 3).

Whereas orders for grant of exploration licences were issued by the Administering Authority on 05.04.2011 to 16 successful applicants for the 62 exploration blocks.

And whereas as per the provisions of sub-rule (1) of rule 19 of the OAMCR, where an order has been made for the grant of exploration licence, a deed granting such license shall be executed within ninety days of the date of the communication of the said order.

Whereas the grant of exploration licences in 62 blocks was challenged in the judicature of various High Courts.

And whereas the Hon'ble High Court of Judicature of Bombay, Nagpur Bench, vide its Order dated 28.03.2011 in Writ Petition No. 1502 of 2011, directed that all subsequent actions be kept in abeyance till the final order of the Hon'ble High Court.

And whereas in keeping with the directions issued by the Hon'ble High Court of Judicature of Bombay, Nagpur Bench, vide its Order dated 28.03.2011, all the 16 applicants were informed that all subsequent actions are being kept in abeyance till the final order of the Hon'ble Court is received.

Whereas the Hon'ble High Court of Judicature at Bombay, Nagpur Bench vide interim Order dated 28.11.2011 in Writ Petition No. 1502 of 2011 clarified that the order dated 28.03.2011 should be confined to 17 blocks for which the petitioner has staked claim and the remaining blocks do not form the subject matter of consideration before the Court.

And whereas the Hon'ble High Court of Judicature at Bombay, Nagpur Bench vide order dated 17.09.2013 while disposing the Writ Petition No. 1502 of 2011 ordered the continuance of the interim order dated 28.11.2011 for a period of ten days to enable the petitioner to move an appropriate application for further continuation of the interim order if so desired.

And whereas the Hon'ble High Court of Judicature at Bombay, Nagpur Bench vide Order dated 27.09.2013 extended the Order dated 28.03.2011 as modified on 28.11.2011 for a further period of six weeks.

Whereas, the Hon'ble High Court of Judicature of Andhra Pradesh at Hyderabad vide interim order dated 22.06.2011 in Writ Petition No. 12835 of 2011 directed that "in the meanwhile, if any steps are taken for grant of exploration licences, the same shall be subject to further orders by this Court". Further, another order dated 11.07.2011 was issued by the Hon'ble Court in this regard directing that "the interim order dated 22.06.2011 granted earlier shall continue until further orders".

And whereas the Writ Petition No. 12835 of 2011 filed in the Hon'ble High Court of Judicature of Andhra Pradesh at Hyderabad has not been disposed as on the date of this order, and the offshore exploration licences granted have not been executed till date.

Whereas, it has come to the notice of the Administering Authority that some of the exploration blocks notified for grant of offshore exploration licences vide notification dated 07.06.2010 overlap with areas other than offshore area, to which the OAMDR Act does not apply.

That the jurisdiction of OAMDR Act, applies exclusively to offshore areas which has been defined in the said Act as the territorial waters, continental shelf, exclusive economic zone and other maritime zones of India under the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and Other Maritime Zones Act, 1976.

And that the grant of mineral concessions over areas other than offshore areas is regulated by the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957).

Whereas the Central Government vide S.O.19 (E) dated 6th January, 2011, published in the Official Gazette by the Department of Environment, Forests and Wildlife, Ministry of Environment and Forests, has declared the extent of the Coastal Regulation Zone (CRZ) and has also imposed certain restrictions on the setting up and expansion of industries, operations or processes and the like in the CRZ.

And whereas the said statutory order dated 6.1.2011 states that CRZ shall also apply to the water and the bed area between the Low Tide Line to the territorial water limit (12 Nm) in case of seas and has prohibited in the area so identified as CRZ, inter alia, the mining of sand, rocks and other sub-strata materials except those rare minerals not available outside the CRZ area.

And whereas all the 62 offshore blocks which were notified for grant of exploration licences vide S.O.1341(E) dated 9th June 2010, lie within the area identified as CRZ, i.e. they lie within the territorial water limit of 12 nautical

mines which attracts the prohibition of mining (which means any operation undertaken for the purpose of winning any mineral) imposed by the statutory order dated 6.1.2011 issued by the Central Government.

Whereas production lease is granted under the OAMDR Act for the purpose of winning any mineral from the offshore area.

And whereas grant of production lease is consequential to the grant of exploration license as the OAMDR Act provides that the holder of an exploration license shall have the exclusive right to a production lease which is the operating right for winning of a mineral.

Whereas in view of the effect of the CRZ Notification dated 6.1. 2011 the purpose of executing the 62 offshore exploration licences gets defeated as the applicants cannot undertake operations for winning of minerals subsequent to the grant of production lease after the successful completion of exploration operations.

Now Therefore taking into consideration all the above stated facts, I hereby annul the Notification issued vide S.O.1341(E) dated 7th June 2010 with effect that all subsequent actions undertaken for grant of the 62 exploration licences hereby stand rescinded.

[F. No. T-42009/SPC/CGBM/2016]

R. K. SINHA. Controller General,
Indian Bureau of Mines and Administering Authority Offshore Areas Mineral
(Development And Regulation)